कार्यालय – प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

निकट विकास भवन, कोषागार, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर। फोन व फैक्स–05944 250060, ई–मेल dfotc-forest-uk@nic.in

पत्रांक सं0 1392 शि0/12–1, रूद्रपुर   दिनांक 28/12/2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषय :– जनपद नैनीताल के विधान सभा लालकुंआ के अन्तर्गत हल्द्वानी तल्ली पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.137 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम हल्द्वानी को 30 वर्षो की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में (Online Proposal No. FP/UK/WATER/41254/2019)

सन्दर्भः– अधिशासी अभियन्ता विश्व बैंक परियोजना इकाई उत्तराखण्ड पेयजल निगम हल्द्वानी का पत्रांक 1321/हल्द्वानी तल्ली पे0यो0/104 दिनांक 17.12.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र सं0 8बी0/यू0सी0पी0/09/54/एफ0सी0/1572 दिनांक 16.10.2020 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान करने के उपरान्त प्रयोक्ता ऐजन्सी को इस कार्यालय के पत्रांक 1119/12–1 दिनांक 15.02.2021 तथा 630 शि0/12–1 दिनांक 27.08.2021 द्वारा शर्तो के अनुपालन हेतु पत्र प्रेषित किया गया। उक्त क्रम में प्रयोक्ता ऐजन्सी द्वारा अपने संदर्भित पत्र द्वारा अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत की गयी है। प्रयोक्ता ऐजन्सी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या निम्नप्रकार प्रस्तुत है–

क्र0 सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	1.0 है0 वन भूमि के वृक्षारोपण हेतु हल्द्वानी रेंज के टांडा ब्लाक हेतु रु0 196600.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा मद में जमा करा दी गई है। (संलग्नक–1 एवं 2)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202/1995 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556, दिनांक 30–10–2002, 01–08–2003, 28–03–2008, 24–04–2008 एवं 09–05–2008 तथा मंत्रालय के पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt.2), दिनांक 18–09–2003, 5–2/2006–एफ0सी0, दिनांक 03–10–2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05–02–2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार मूल्य रू0 110011.00 (रु0 एक लाख दस हजार ग्यारह मात्र) की धनराशि 0.137 है0

Scanned with CamScanner

		वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये भुद्ध वर्तमान मूल्य NPV ऑनलाइन जमा करा दिया गया है (संलग्न–2)।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	यदि सक्षम स्तर से एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि जमा की जायेगी (संलग्न–3)। प्रयोक्ता अभिकरण इस हेतु सगहत है।
4	भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा की जाएगी।	भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 एवं पूतिपूर्ति पौधारोपण की धनराशि रू0 306611.00 जमा करा दी गयी है (संलग्नक–2)। प्रयोक्ता अभिकरण इस हेतु सगहत है।
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	1.0 हे0 वन भूमि के वृक्षारोपण हेतु हल्द्वानी रेंज के टांडा ब्लाक हेतु रु0 196600.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा मद में जमा करा दी गई है। (संलग्नक–1 एवं 2)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक –11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छाया प्रति सहित प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556, दिनांक 30–10–2002, 01–08–2003, 28–03–2008, 24–04–2008 एवं 09–05–2008 तथा मंत्रालय के पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt.2), दिनांक 18–09–2003, 5–2/2006–एफ0सी0, दिनांक 03–10–2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05–02–2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार मूल्य रू0 306611.00 (रु0 तीन लाख छः हजार छः सौ ग्यारह मात्र) की धनराशि 0.137 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये भुद्ध वर्तमान मूल्य NPV एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ऑनलाइन जमा करा दिया गया है (संलग्न–2)।

Scanned with CamScanner

	जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है (संलग्न–4)।
7	प्रयोक्ता एजेंसी के वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रयोक्ता एजेंसी के वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध करा दिया गया है (संलग्न–5)।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	प्रयोक्ता अभिकरण इस हेतु सहमत है।
9	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को स्वीकार्य है।

अतः प्रभाग स्तर से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति के शर्तो के अनुपालन की शर्तो के मान्य होने की सहमति के आधार पर अनुपालन आख्या संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

पत्रांकः–1392 शि० /12–1 (1) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

पंजीकृत

पत्रांकः–1394शि० /12–1 (2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता, विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी (नैनीताल) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर

O/C

Scanned with CamScanner

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक परियोजना इकाई
उत्तराखण्ड पेयजल निगम
हल्द्वानी (नैनीताल)
उत्तराखण्ड
पिन– 263139

wbhld.upsvnn@gmail.com

Office of Executive Engineer
World Bank Project Unit
Uttarakhand Peyjal Nigam
Haldwani (Nainital)
Uttarakhand
PIN - 263139

पत्रांक 1321 / हल्द्वानी तल्ली पे0यो0 /104 दिनांकः 17/12/2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग
रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

विषय :– **जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुँआं के अन्तर्गत हल्द्वानी तल्ली पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.137 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी को 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत करना है कि अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 381(1)/X-3-20/2(12)/2020, दिनांक 29 अप्रैल 2020 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके कार्यालय पत्रांक 5742/12–1 रूद्रपुर दिनांक 09.06.2020 के क्रम में बिन्दुवार निम्नवत् पुनः प्रेषित की जा रही है :–

क्र0 सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।	1.0 हे0 वन भूमि के वृक्षारोपण हेतु हल्द्वानी रेंज के टांडा ब्लाक हेतु रु0 196600.00 की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा मद में जमा करा दी गई है। (संलग्नक–1 एवं 2)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिटपिटीशन (सिविल) 202/1995 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556, दिनांक 30–10–2002, 01–08–2003, 28–03–2008, 24–04–2008 एवं 09–05–2008 तथा मंत्रालय के पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt.2), दिनांक 18–09–2003, 5–2/2006–एफ0सी0, दिनांक 03–10–2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05–02–2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार मूल्य रू0 110011.00 (रु0 एक लाख दस हजार ग्यारह मात्र) की धनराशि 0.137 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य NPV ऑनलाइन जमा करा दिया गया है (संलग्न–2)।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	यदि सक्षम स्तर से एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि जमा की जायेगी (संलग्न–3)।
4	भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा की जाएगी।	भारत सरकार पत्र सं0 5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 एवं पूतिपूर्ति पौधारोपण की धनराशि रू0 306611.00 जमा करा दी गयी है (संलग्नक–2)।

Scanned with CamScanner

क्र0 सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तें	आख्या
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकम), ब्लाक –11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छाया प्रति सहित प्रस्ताव के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556, दिनांक 30–10–2002, 01–08–2003, 28–03–2008, 24–04–2008 एवं 09–05–2008 तथा मंत्रालय के पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt.2), दिनांक 18–09–2003, 5–2/2006–एफ0सी0, दिनांक 03–10–2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 05–02–2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार मूल्य, रू0 306611.00 (रु0 तीन लाख छः हजार छः सौ ग्यारह मात्र) की धनराशि 0.137 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य NPV एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ऑनलाइन जमा करा दिया गया है **(संलग्न–2)।**
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है **(संलग्न–4)।**
7	प्रयोक्ता एजेंसी के वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	प्रयोक्ता एजेंसी के वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को उपलब्ध करा दिया गया है **(संलग्न–5)।**
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्स सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	अतः स्वीकार्य है।
9	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	उपरोक्त शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है।

अतः भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित विधिवत् स्वीकृति हेतु पुनः प्रेषित की जा रही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(हिमांशु वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

पृं0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :– 1. महाप्रबन्धक (पी०आई०यू०) उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. इं0 वाई0एस0 रावत, सहायक अभियन्ता/इं0 महेश चन्द्र, अपर सहायक अभियन्ता आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with CamScanner

संलग्न-1 (A)

प्रपत्र–37

परियोजना का नाम:– जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुऑ के अर्न्तगत हल्द्वानी तल्ली पेयजल योजना का निर्माण।

रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों के वृक्षारोपण एवं दस वर्षो हेतु रख–रखाव का प्राकलन।

(वृक्षारोपण योजना)

वृक्षारोपण स्थल का नाम– टांडा ब्लौक, हल्द्वानी राजि, क्षेत्रफल– 1.00 है0,
रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या– 1000 पौधे।

क्र0 सं0	विवरण	इकाई	इकाई दर (रू0 में)	योग
1	सर्वे एवं सीमांकन	प्रति है0	100.00	100.00
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	प्रति है0	8924.00	8924.00
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) तार फैंसिंग सम्पूर्ण व्यय	प्रति है0	22702.00	22702.00
4	गड्डा खुदान (0.45 x 0.45 x 0.45)	प्रति है0	11147.00	11147.00
5	गड्डा भरान (0.45 x 0.45 x 0.45)	प्रति है0	1240.00	1240.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना	प्रति है0	553.00	553.00
7	पौधौं का मूल्य	प्रति है0	8280.00	8280.00
8	पौध ढुलान कार्य(नर्सरी से रोपण स्थल तक मय स्थानीय ढुलान सहित)	प्रति है0	6838.00	6838.00
9	निराई गुडाई व मल्चिंग (दो बार) प्रथम निराई गुड़ाई द्वितीय निराई गुड़ाई	प्रति है0	4384.00	4384.00
10	वृक्षारोपण उपरान्त झाड़ी कटान/क्षेत्र की सफाई	प्रति है0	1853.00	1853.00
11	कर्मचारियों व श्रमिकों के लिऐ छप्पर	प्रति है0	664.00	664.00
12	पानी का प्रबन्ध	प्रति है0	221.00	221.00
13	सकेंत पट्टी	प्रति है0	77.00	77.00
14	तारबाड़ के बाहर आग लगाई सफाई	प्रति है0	195.00	195.00
15	रोपण रक्षक का पारिश्रमिक	प्रति है0	10960.00	10960.00
16	श्रमिकों की दवा आदि	प्रति है0	53.00	53.00
17	अन्य व्यय (रोपण क्षेत्र का रख–रखाव, प्रचार–प्रसार, डाक्यूमेंटेशन, कार्यालय स्टेशनरी, छपाई तथा मुद्रण, वाहनो का रख–रखाव, ईधन व नर्सरी का सुदृणीकरण आदि)	प्रति है0	5707.00	5707.00
	योग			**83898.00**

वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त वर्ष में अनुरक्षण कार्य/रोपण रक्षक (12 माह)	प्रति है0	10960.00	10960.00
2	निराइ एंव गुड़ाई	प्रति है0	1984.00	1984.00
3	पट्टों की घास दवाने हेतु जुताई कार्य(4 मीटर पट्टी साफ करना)	प्रति है0	1853.00	1853.00
4	तारवाड़ के बाहर आग लाईन सफाई	प्रति है0	215.00	215.00
5	तारवाड़ मरम्मत	प्रति है0	276.00	276.00
6	अन्य आकस्मिक कार्य	प्रति है0	766.00	766.00
	योग :–			16054

वृक्षारोपण तृतीय वर्ष का वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त वर्ष में अनुरक्षण कार्य/रोपण रक्षक (12 माह)	प्रति है0	10960.00	10960.00
2	निराइ एंव गुड़ाई	प्रति है0	1984.00	1984.00
3	पट्टों की घास दवाने हेतु जुताई कार्य(4 मीटर पट्टी साफ करना)	प्रति है0	1853.00	1853.00
4	तारवाड़ के बाहर आग लाईन सफाई	प्रति है0	215.00	215.00
5	तारवाड़ मरम्मत	प्रति है0	276.00	276.00
6	अन्य आकस्मिक कार्य	प्रति है0	154.00	154.00
	योग :–			15442

Scanned with CamScanner

संलग्न-1 (B)

वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त वर्ष में अनुरक्षण कार्य/रोपण रक्षक (12 माह)	प्रति है0	10960.00	10960.00
2	तारबाड़ के बाहर आग लाईन सफाई	प्रति है0	215.00	215.00
3	तारबाड़ मरम्मत	प्रति है0	276.00	276.00
4	अन्य आकस्मिक कार्य	प्रति है0	154.00	154.00
	योग :–			11605.00

वृक्षारोपण का पाँचवे वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त वर्ष में अनुरक्षण कार्य/रोपण रक्षक (12 माह)	प्रति है0	10960.00	10960.00
2	तारबाड़ के बाहर आग लाईन सफाई	प्रति है0	215.00	215.00
3	तारबाड़ मरम्मत	प्रति है0	276.00	276.00
4	अन्य आकस्मिक कार्य	प्रति है0	154.00	154.00
	योग :–			11605.00

वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त वर्ष में अनुरक्षण कार्य/रोपण रक्षक (12 माह)	प्रति है0	10960.00	10960.00
2	तारबाड़ के बाहर आग लाईन सफाई	प्रति है0	215.00	215.00
3	तारबाड़ मरम्मत	प्रति है0	276.00	276.00
4	अन्य आकस्मिक कार्य	प्रति है0	154.00	154.00
	योग :–			11605.00

वृक्षारोपण का सातवां वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त वर्ष में अनुरक्षण कार्य/रोपण रक्षक (12 माह)	प्रति है0	10960.00	10960.00
2	तारबाड़ के बाहर आग लाईन सफाई	प्रति है0	215.00	215.00
3	तारबाड़ मरम्मत	प्रति है0	276.00	276.00
4	अन्य आकस्मिक कार्य	प्रति है0	154.00	154.00
	योग :–			11605.00

वृक्षारोपण का आठवां वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त वर्ष में अनुरक्षण कार्य/रोपण रक्षक (12 माह)	प्रति है0	10960.00	10960.00
2	तारबाड़ के बाहर आग लाईन सफाई	प्रति है0	215.00	215.00
3	तारबाड़ मरम्मत	प्रति है0	276.00	276.00
4	अन्य आकस्मिक कार्य	प्रति है0	154.00	154.00
	योग :–			11605.00

वृक्षारोपण का नवां वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त वर्ष में अनुरक्षण कार्य/रोपण रक्षक (12 माह)	प्रति है0	10960.00	10960.00
2	तारबाड़ के बाहर आग लाईन सफाई	प्रति है0	215.00	215.00
3	तारबाड़ मरम्मत	प्रति है0	276.00	276.00
4	अन्य आकस्मिक कार्य	प्रति है0	154.00	154.00
	योग :–			11605.00

वृक्षारोपण का दसवां वर्ष का रख–रखाव

1	रोपण वर्ष के उपरान्त वर्ष में अनुरक्षण कार्य/रोपण रक्षक (12 माह)	प्रति है0	10960.00	10960.00
2	तारबाड़ के बाहर आग लाईन सफाई	प्रति है0	215.00	215.00
3	तारबाड़ मरम्मत	प्रति है0	276.00	276.00
4	अन्य आकस्मिक कार्य	प्रति है0	154.00	154.00
	योग :–			11605.00

वृक्षारोपण की कुल लागतः– 196629.00

या रू0 **196600.00(एक लाख छियानबे हजार छः सौ) मात्र**

वन क्षेत्राधिकारी
हल्द्वानी ... रेंज
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी उप प्रभाग
त० के० वन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग
हल्द्वानी (नैनीताल)

Scanned with CamScanner

सलग्न-2 (1)

फोन : – 05946–220055
ई–मेल – wbhld.upsvnn@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विश्व बैंक परियोजना इकाई
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड।

पत्रांकः 625 / हल्द्वानी तल्ली पेयजल योजना / 57 दिनांक : 31.8.2020

प्रेषण का माध्यम	
ई0–मेल द्वारा	
डाक द्वारा	

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,
रूद्रपुर।

विषय :– जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुँआं के अन्तर्गत हल्द्वानी तल्ली पेयजल योजना के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके कार्यालय पत्रांक 5742/12–1 रूद्रपुर, दिनांक 09.06.2020 के क्रम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा निम्नानुसार धनराशि जमा करा दी गयी है।

1. प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 = 1,96,600
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य(एन0पी0वी0) निर्धारित धनराशि रू0 = 110011.00

कुल धनराशि रू0 = 306611.00

उक्त धनराशि का भुगतान संलग्न पत्र के अनुसार कर दियां गया है। यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है, तो बढी हुई धनरशि जमा करा दी जायेगी।

संलग्नक– जमा की गयी धनराशि का विवरण

भवदीय

(हिमांशु वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– इं0 डी0के0 पन्त सहायक अभियन्ता/इं0 महेश चन्द्र. अपर सहायक अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

Scanned with CamScanner

संलग्न-2 (II)

फोन : – 05946–220055
ई–मेल – wbhld.upsvnn@gmail.com

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

विश्व बैंक परियोजना इकाई
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी (नैनीताल) उत्तराखण्ड।

पत्रांकः 495 / एफ– 1 / 62 दिनांक : 17·7·2020

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
बैंक ऑफ बड़ौदा
हल्द्वानी नैनीताल।

विषय :– खाता सं0 150895341254284 में आर0टी0जी0एस0 करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के चैक सं0 550151 दिनांक 17.07.2020 धनराशि रू0 306611.00 (रू0 तीन लाख छः हजार छः सौ ग्यारह मात्र) निम्न विवरणानुसार बैंक खाते में स्थानान्तरित करने का कष्ट करें।

क0सं0	कार्यालय का नाम जहां प्रेषित की जा रही है	धनराशि	बैंक का नाम	आई0एफ0एस0 कोड	खाता सं0
1	UTTARANCHAL CAMPA	306611.00	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi-110003	CORP0000371	150895341254284

संलग्नक :– चैक सं0 ....

भवदीय,
(हिमांशु वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

Scanned with CamScanner

संलग्न - 3

प्रपत्र-43

परियोजना का नाम :- **जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी तल्ली पेयजल योजना का निर्माण कार्य**

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजन में एन0पी0वी0 की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता
विश्व बैंक परियोजना इकाई,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
हल्द्वानी

सहायक अभियन्ता
विश्व बैंक परियोजना इकाई,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
हल्द्वानी

अधिशासी अभियन्ता
विश्व बैंक परियोजना इकाई,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
हल्द्वानी

Scanned with CamScanner

संलग्न - 4

प्रपत्र- 27

परियोजना का नाम :– **जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआँ के अन्तर्गत हल्द्वानी तल्ली पेयजल योजना का निर्माण कार्य**

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता **विश्व बैंक परियोजना इकाई,** **उत्तराखण्ड पेयजल निगम,** **हल्द्वानी**	**सहायक अभियन्ता** **विश्व बैंक परियोजना इकाई,** **उत्तराखण्ड पेयजल निगम,** **हल्द्वानी**	**अधिशासी अभियन्ता** **विश्व बैंक परियोजना इकाई,** **उत्तराखण्ड पेयजल निगम,** **हल्द्वानी**

Scanned with CamScanner

संलग्न-5

प्रपत्र- 23

परियोजना का नाम :– जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र ~~लालकुआँ~~ के अन्तर्गत हल्द्वानी तल्ली पेयजल योजना का निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

वार्ड का नाम – हल्द्वानी तल्ली

तहसील– हल्द्वानी

जिला नैनीताल

उपजिलास्तरीय समिति

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र हल्द्वानी के अन्तर्गत हल्द्वानी तल्ली पेयजल योजना के निर्माण हेतु (0.137 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.000 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.137 है0 वन भूमि का विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में वार्ड हल्द्वानी तल्ली द्वारा दिनांक 29.11.18 को सम्पन्न वार्ड की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी वार्ड वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वार्डवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त वार्ड द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि वार्ड हल्द्वानी तल्ली के क्षेत्र वासियों को उक्त वन भूमि विश्व बैंक परियोजना इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, हल्द्वानी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

वार्ड मैम्बर/पार्षद

मुहर सहित

...जोशी
पार्षद
वार्ड न०– 58, ह०तल्ली
नगर निगम हल्द्वानी

Scanned with CamScanner